जनता की समस्या योगी की प्राथमिकता

योगी ने कब्जा और इलाज के लिए दिए निर्देश

गोरखपुर, 13 अक्टूबर. शारदीय नवरात्र और विजयादशमी पर्व के उपलक्ष्य में लगातार तीन दिन आनुष्ठानिक कार्यक्रमों में अति व्यस्तता के बाद आराम करने की बजाय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह जन समस्याओं के निस्तारण को प्राथमिकता दी.

गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनीं और निस्तारण के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए. जनता दर्शन में सीएम योगी ने अधिकारियों को दो टूक हिदायत दी है कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे न जाएं. सीएम योगी ने रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान करीब 300 लोगों से मुलाकात की. गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक वह खुद पहुंचे और एक-एक करके सबकी समस्याएं सुनीं. सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है.

> राजस्व व पुलिस से जुड़े मामलों को मुख्यमंत्री ने पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ निस्तारित करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए. हर पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए उसकी मदद की जाए. जनता दर्शन में कुछ महिलाएं अपने बच्चों के साथ आई थीं. मुख्यमंत्री ने इन बच्चों को खूब पढ़ने के लिए प्रेरित किया और चॉकलेट गिफ्ट करते हुए प्यार व आशीर्वाद दिया.

मुख्यमंत्री के समक्ष जनता दर्शन में हर बार की भांति इस बार भी कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे. सीएम योगी ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी. उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को हस्तगत करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इलाज से जुड़ी इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करा कर शासन में उपलब्ध कराया जाए.

बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह के पास जहाज में लगी आग

ढाका, 13 अक्टूबर (वार्ता) बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर विस्फोट के बाद रविवार तड़के बंगाल की खाड़ी में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) ले जा रहे एक हल्के जहाज में आग लग गई. ढाका ट्रिब्यून ने अपनी रिपोर्ट में कहा, फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. रिपोर्ट के अनुसार कुतुबदिया उपजिला के कार्यवाहक निर्बाही अधिकारी (उप-विभागीय कार्यकारी अधिकारी) मुहम्मद शहादत हुसैन ने कुतुबदिया प्वाइंट के पास हुई दुर्घघटना की पुष्टि की है. हुसैन ने कहा कि बंगलादेश नौसेना और तटरक्षक बल को इस घटना के बारे में सूचना दे दी गयी है. नौसेना अधिकारियों के मुताबिक, इस बीच नौसेना अधिकारी जहाज में फंसे चालक दल के सदस्यों और अन्य कर्मचारियों के निकासी का काम कर रहे थे.

प्रदेश में नहीं चलने देंगे थूक जिहाद : धामी

किच्छा, 13 अक्टूबर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किच्छा पहुंचकर उन्होंने पहले खुरपिया फार्म में निर्माणाधीन एम्स के कार्यों का किया निरीक्षण. इसके बाद वह नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल हुए.

सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में थूक जिहाद नहीं चलेगा. ऐसे लोगों के लिए समाज को आगे आने की जरूरत है. ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. लैंड माफिया पर कड़ी कार्यवाई कर रहे हैं. वहीं, उन्होंने यूसीसी पर कहा कि यह हम पक्षपात नहीं समानता के लिए लागू करने जा रहे हैं.

सीएम ने पंतनगर में डा. आंबेडकर पार्क में आंबेडकर की आदमकद मूर्ति लगाने, अटरिया रोड का बचा निर्माण पूरा करने, बड़िया में आपदा में बहे पुल का निर्माण करने और दरऊ पर पार्क और तालाब का सुंदरीकरण की घोषणा की. उन्होंने कहा कि उद्योगों में स्थानीय युवाओं को 70 फीसदी रोजगार दिलाने की दिशा में काम करेंगे. पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने वाला है. किच्छा में एम्स 2025 में शुरू होने जा रहा है.

सिद्दीकी हत्या : शिंदे, फडणवीस दें इस्तीफा

कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार पर उठाए सवाल, निष्पक्ष जांच की मांग

नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर (वार्ता) कांग्रेस ने कहा है कि महाराष्ट्र में कड़ी सुरक्षा से लैस पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या गंभीर मुद्दा है और इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना चाहिए.

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी तथा पार्टी प्रवक्ता रागिनी नायक ने रविवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बाबा सिद्दीकी को वाई श्रेणी की सुरक्षा हासिल थी, इसके बावजूद सुरक्षा में सेंध लगाकर उनकी हत्या की गई है, जो अत्यंत गंभीर है.

बाबा सिद्दीकी को मिली थी वाई लेवल की सिक्योरिटी

बाबा सिद्दीकी तीन बार के विधायक और पूर्व मंत्री थे. उन्हें वाई लेवल की सिक्योरिटी मिली हुई थी इसके बावजूद उनकी हत्या कर दी गई. सवाल है कि यदि वाई लेवल की सिक्योरिटी से लैस व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी का क्या होगा. कांग्रेस नेताओं ने कहा, आज महाराष्ट्र की महायुति सरकार में हर व्यक्ति डर के साए में जी रहा है. डबल इंजन सरकार का दावा करने वाले गृह मंत्री खामोश हैं.

उन्होंने कहा, बाबा सिद्दीकी को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया. ये वारदात किसी सुनसान बीहड़ की नहीं बल्कि मुंबई के बांद्रा की है. बाबा सिद्दीकी तीन बार के विधायक और पूर्व मंत्री थे. उन्हें वाई लेवल की सिक्योरिटी मिली हुई थी इसके बावजूद उनकी हत्या कर दी गई. सवाल है कि यदि वाई लेवल की सिक्योरिटी से लैस व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी का क्या होगा.

कांग्रेस नेताओं ने कहा, आज महाराष्ट्र की महायुति सरकार में हर व्यक्ति डर के साए में जी रहा है. डबल इंजन सरकार का दावा करने वाले गृह मंत्री खामोश हैं. देश में कल विजयदशमी का त्योहार था, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, लेकिन महाराष्ट्र में कल जो हुआ वो सबने देखा. गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया था कि राम राज्य कैसा होना चाहिए लेकिन शायद स्वघोषित धर्म के ठेकेदारों को राम राज्य के बारे में याद नहीं है. आज महाराष्ट्र में रावणराज है जिसका अंत करने के लिए जनता तैयार बैठी है और इसीलिए शायद ये चुनाव की तारीखों को टालने का काम कर रहे हैं.

बाबा सिद्दीकी हत्या से देश में ख़ौफ़

नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर (वार्ता) आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एवं राज्य के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की मुंबई में जिस प्रकार सरेआम हत्या कर दी गई, उससे ना केवल महाराष्ट्र बल्कि देशभर के लोग ख़ौफ़ज़दा हैं.केजरीवाल ने एक्स पर कहा, मुम्बई में सरेआम राकांपा नेता की गोली मारकर हत्या की इस वारदात से ना केवल महाराष्ट्र बल्कि देशभर के लोग ख़ौफ़ज़दा हैं. दिल्ली में भी कमोबेश यही माहौल बना दिया है इन्होंने. ये लोग पूरे देश में गैंगस्टर राज लाना चाहते हैं. जनता को अब इनके खिलाफ़ खड़ा होना ही पड़ेगा. उल्लेखनीय है कि मुंबई के बांद्रा इलाक़े में शनिवार देर रात हमलावरों ने सिद्धिकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

संघ प्रमुख भागवत का सूरत दौरा

सूरत, 13 अक्टूबर. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत 16 एवं 17 अक्टूबर को सूरत के प्रवास पर रहेंगे. इस दौरान वे यहां कुछ कार्यक्रमों में शामिल होंगे. संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख विजय ठाकर ने रविवार को बताया कि डॉ. मोहन भागवत 16 अक्टूबर की शाम को सूरत आएंगे. वे 17 अक्टूबर को सुबह जैन आचार्य महाश्रमण से मुलाकात करेंगे. इस दौरान वे जैन समाज के एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे. 17 अक्टूबर की शाम को वे पर्यावरण संबंधी एक गोष्ठी में उपस्थित रहेंगे. बाद में स्वामीनारायण संप्रदाय के संतों के साथ उनकी मुलाकात का कार्यक्रम भी है.

ईरान ने हमास हमले से जुड़े आरोप किए खारिज

तेहरान, 13 अक्टूबर (वार्ता) ईरान ने हमास की ओर से सात अक्टूबर 2023 की इजरायल की सीमा में घुसकर और गाजा पट्टी से बड़े पैमान पर रॉकेट दागकर किये गये हमले से ईरान को जोड़ने के दावे को खारिज किया है. ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी इरना के अनुसार न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी मिशन ने हमास द्वारा गत वर्ष 07 अक्टूबर को इजरायल पर किए गए हमले से ईरान को जोड़ने के दावों को खारिज कर दिया. मिशन ने कहा, जबकि दोहा में स्थित हमास के अधिकारियों ने घोषणा की है कि उन्हें अभियान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

आज का इतिहास

1946 हॉलैंड और इंडोनेशिया के बीच संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए.

1953 भारत में संपदा शुल्क अधिनियम प्रभाव में आया.

1964 मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अहिंसा के सिद्धांत का पालन करते हुए रंगभेद के खिलाफ संघर्ष के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया.

2004 पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को सेना प्रमुख बनाए रखने वाला विधेयक पारित किया.

2007 अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चिकित्सा और कृषि क्षेत्रों में परमाणु प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए नेपाल को मंजूरी प्रदान की.

इज़रायली सेना ने 50 हिज़्बुल्लाह लड़ाकों को मारा

यरुशलम, 13 अक्टूबर (वार्ता) इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने कहा है कि उसने पिछले 24 घंटों में दक्षिणी लेबनान में आमने-सामने की मुठभेड़ों में हिजबुल्लाह के 50 आतंकवादियों को मार गिराया और वायु सेना के हमलों का निर्देशन दिया है. आईडीएफ ने कि उसने उत्तरी इजरायल के इलाकों और सेना बलों को निशाना बनाकर भूमिगत सुरंग शाफ्ट, कई हथियार भंडारण बुनियादी ढांचे, रॉकेट लांचर, मोर्टार बम और एंटी-टैंक मिसाइलों सहित 200 से अधिक हिजबुल्लाह के लक्ष्यों को निशाना बनाया. बयान में कहा गया है कि इजरायली वायु सेना ने सीरिया-लेबनान सीमा पर भूमिगत सुविधाओं को निशाना बनाकर एक अभियान भी चलाया. जहां हिजबुल्लाह के हथियार संग्रहीत थे.

टाटा कैपिटल लिमिटेड

टावर ए, 11वीं मंजिल, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई, महाराष्ट्र-400013

शाखा पता- 302, तीसरी मंजिल, खंडेलवाल बिजनेस पार्क, ब्लॉक नंबर 4, 9/1 एमजी रोड, इंदौर - 452001.

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

(सिक्योरिटी इंटरेस्ट (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) आर/डब्ल्यू नियम 9(1) के प्रावधान के साथ वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री नोटिस

ऋण खाता संख्या- 21797556- श्री जय प्रकाश मोरधनी

यह सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल लिमिटेड (टीसीएल) एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय पेनिनसुला बिजनेस पार्क, टॉवर ए, 11वीं मंजिल, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई- 400013 में है और **मध्य प्रदेश** में अन्य स्थानों के अलावा एक शाखा कार्यालय है ('शाखा') दिनांक **24.11.2023** के आदेशों के अनुसार, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) मुंबई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ धारा 230 से 232 के प्रावधानों के तहत टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ('टीसीएफएसएल') और टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड ('टीसीसीएल') के बीच हस्तांतरणकर्ता के रूप में और टाटा कैपिटल लिमिटेड ('टीसीएल') के बीच हस्तांतरणकर्ता के रूप में व्यवस्था की योजना को विधिवत मंजूरी दे दी है. इसके अनुसार, टीसीएफएसएल और टीसीसीएल (ट्रांसफरर कंपनियां) अपने उपक्रम के साथ **01.01.2024** से सभी संपत्तियों, परिसंपत्तियों, अधिकारों, लाभों, ब्याज, कर्तव्यों, दायित्वों, देनदारियों, अनुबंधों, समझौतों, प्रतिभूतियों आदि के साथ एक चालू व्यवसाय के रूप में टीसीएल के साथ विलय हो गए हैं. उक्त आदेश और योजना के अनुसरण में, टीसीएफएसएल द्वारा निष्पादित सभी सुविधा दस्तावेज और उसके संबंध में सभी बकाया आवेदक कंपनी को हस्तांतरित हो गए और इस प्रकार टीसीएल इसके अनुसार [उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं] से दावा करने का हकदार है. एतद् द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से नीचे दिए गए उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो **टाटा कैपिटल लिमिटेड (सुरक्षित ऋणदाता/टीसीएल)** के पास बंधक है, जिसका कब्जा टाटा कैपिटल लिमिटेड (सुरक्षित ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, **06 नवंबर, 2024** को **'जैसा है जहां है' तथा 'जैसा है और जो कुछ भी है तथा बिना किसी सहारा के आधार पर'** बेची जाएगी. चूंकि सुरक्षित परिसंपत्ति की बिक्री सुरक्षित ऋण की वसूली के लिए की जानी है तथा चूंकि की राशि बकाया थी **रु. 2,40,75,066.84/- (रुपये दो करोड़ चालीस लाख पिचहत्तर हजार छियासठ और चौरासी पैसे मात्र) ऋण खाता संख्या 21797556 में 10.10.2024 को उधारकर्ता और सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों से देय, अर्थात, (1) श्री जय प्रकाश मोरधनी; (2) श्रीमती कंचन प्रकाश मोरधनी; (3) श्री गोपाल दास मोरधनी; (4) मेसर्स पारस लेदर ऑप्टिकल अपने मालिक श्री गोपाल दास मोरधनी के माध्यम से; (5) मेसर्स आई ऑप्टिक्स अपने मालिक श्री जय प्रकाश मोरधनी के माध्यम से सभी जिनका पता है-** हाउस नंबर 9, जयश्री सिंडिकेट कॉलोनी, इंदौर, मध्य प्रदेश -452001; **यह भी-** मकान ग्राउंड फ्लोर, शिव ट्रेड सेंटर, मु.पा. का पूर्वी भाग, मकान नं.21/1, गली नं.1, सिख मोहल्ला, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001; **यह भी जोड़ें-** फ्लैट नं.101, प्रथम तल, शिव ट्रेड सेंटर, मु.पा. का पूर्वी भाग। मकान नं.21/1, गली नं.1, सिख मोहल्ला, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001; **यह भी जोड़ें-** फ्लैट नं. 201, द्वितीय तल, शिव ट्रेड सेंटर, मु.पा. का पूर्वी भाग। मकान नं.21/1, गली नं.1, सिख मोहल्ला, इंदौर, मध्य प्रदेश 452001; **यह भी जोड़ें-** फ्लैट/यूनिट नं. G-3, शिव ट्रेड सेंटर, मु.पा. का पूर्वी भाग, मकान नं.21/1, गली नं.1, सिख मोहल्ला, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001. एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री में किसी भी प्रकार के स्थगन/विराम की अनुपस्थिति में, उक्त संपत्ति को **06 नवम्बर, 2024** को **अपराह्न 2.00** बजे ई-नीलामी द्वारा बेचा जाएगा, जिसका शाखा कार्यालय **302, तृतीय तल, खंडेलवाल बिजनेस पार्क, ब्लॉक नं. 4, 9/1, एम जी रोड, इंदौर - 452001** में है.

संपत्ति की खरीद के लिए सीलबंद ई-नीलामी ईएमडी डिमांड ड्रॉफ्ट के साथ **05 नवम्बर, 2024** को **सायं 5.00 बजे** तक **टाटा कैपिटल लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी.

सुरक्षित संपत्तियों का विवरण	कब्जे का प्रकार रचनात्मक/भौतिक	आरक्षित मूल्य (रु.)	बयाना राशि ईएमडी (रु.)
(1) शिव ट्रेड सेंटर, मु.पा. हाउस नं. 21/1, गली नं. 1, सिख मोहल्ला, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452001 के पूर्वी भाग में भूतल पर स्थित दुकान का पूरा टुकड़ा. दुकान का क्षेत्रफल 118.125 वर्ग फीट है, जो निम्न प्रकार से घिरा है- पूर्व की ओर या उससे आगे- सड़क; पश्चिम की ओर या उससे आगे- उक्त संपत्ति का शेष भाग; दक्षिण की ओर या उससे आगे- उक्त संपत्ति का शेष भाग; उत्तर की ओर या उससे आगे- हाउस नं. 20.	भौतिक	रु. 1,34,78,000/- (रु. एक करोड़ चौंतीस लाख अट्ठहत्तर हजार मात्र)	रु. 13,47,800 (रु. तेरह लाख सैंतालीस हजार आठ सौ मात्र)

(2) फ्लैट/यूनिट नंबर जी-3, शिव ट्रेड सेंटर, मु.पा. के पूर्वी भाग का पूरा टुकड़ा और पार्सल। मकान नंबर 21/1, गली नंबर 1, सिख मोहल्ला, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452001. फ्लैट/यूनिट क्षेत्र 109.375 वर्ग फीट (निर्मित) जो निम्नानुसार घिरा हुआ है- पूर्व में या उसकी ओर- फ्लैट नंबर जी-1; पश्चिम में या उसकी ओर- उक्त घर का शेष भाग; दक्षिण में या उसकी ओर- फ्लैट नंबर जी-4; उत्तर में या उसकी ओर- मकान नंबर 20.

(3) फ्लैट नंबर 201, द्वितीय तल, शिव ट्रेड सेंटर, मु.पा. के पूर्वी भाग का पूरा टुकड़ा और पार्सल. मकान नं. 21/1, गली नं. 1, सिख मोहल्ला, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452001. 520 वर्ग फीट (निर्मित) मापने वाला फ्लैट क्षेत्र, जो निम्नानुसार घिरा हुआ है- पूर्व में या उसकी ओर- गटर थान रोड; पश्चिम में या उसकी ओर- उक्त घर का शेष भाग; दक्षिण में या उसकी ओर- नगर पालिका गली; उत्तर में या उसकी ओर- मकान नं. 20.

(4) फ्लैट नं. 101, पहली मंजिल, शिव ट्रेड सेंटर, मु.पा. के पूर्वी भाग का वह सारा टुकड़ा और पार्सल. मकान नं. 21/1, गली नं. 1, सिख मोहल्ला, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452001. 520 वर्ग फीट (निर्मित) मापने वाला फ्लैट क्षेत्र जो निम्नानुसार घिरा हुआ है- पूर्व में या उसकी ओर- गटर थान रोड; पश्चिम में या उसकी ओर- उक्त घर का शेष भाग; दक्षिण की ओर या उसकी ओर- म्यूनिसिपलिटी गली; उत्तर की ओर या उसकी ओर- मकान नं. 20.

बिक्री के लिए रखी जाने वाली संपत्ति का विवरण अनुसूची में है. ऊपर वर्णित सुरक्षित संपत्ति के अंदर या भीतर पड़ी चल वस्तुएं/घरेलू सामान सुरक्षित संपत्ति के साथ बिक्री के लिए तब तक उपलब्ध नहीं होंगे जब तक कि नीलामी बिक्री नोटिस में विशेष रूप से इसका वर्णन न किया गया हो. यदि पूर्वोक्त देय राशि, ब्याज और लागत (बिक्री की लागत सहित) 'प्राधिकृत अधिकारी' को सौंप दी जाती है या उसके संतोष के लिए सबूत दे दिया जाता है कि ऐसे सुरक्षित ऋण, ब्याज और लागत की राशि का भुगतान कर दिया गया है, तो बिक्री भी रोक दी जाएगी. बिक्री के समय, आम जनता को व्यक्तिगत रूप से अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है. हालांकि, इस बिक्री के संबंध में कोई कर्तव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, सीधे या परोक्ष रूप से, बेची गई संपत्ति में कोई भी हित प्राप्त करने, प्राप्त करने या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा. बिक्री SARFAESI अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी. ई-नीलामी **06 नवंबर, 2024** को **दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे** के बीच पोर्टल **https://bankauctions.in** के माध्यम से 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ होगी. संपत्ति की खरीद के लिए प्रस्तुत सभी बोलियों के साथ ऊपर उल्लिखित बयाना राशि 'टाटा कैपिटल लिमिटेड' के पक्ष में इंदौर में देय डिमांड ड्रॉफ्ट के माध्यम से संलग्न करनी होगी. संपत्ति का निरीक्षण **25 अक्टूबर, 2024** को **सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे** के बीच किया जा सकता है.

नोट:- इच्छुक बोलीदाता टाटा कैपिटल लिमिटेड से मोबाइल नंबर +91-8691005238/ प्राधिकृत अधिकारी श्री हरंगद सिंह भोगल पर संपर्क कर सकते हैं; ईमेल आईडी- Harangad.Bhogal@tatacapital.com और मोबाइल नंबर +91-8657563008.

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट पर दिए गए लिंक को देखें, यानी **https://bit.ly/4eC2P4&**

स्थान- इंदौर, (मध्य प्रदेश) | **एसडी/-**

दिनांक- 14.10.2024 | **प्राधिकृत अधिकारी, टाटा कैपिटल लिमिटेड**

डिमांड नोटिस

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (उक्त एक्ट) की सेक्शन 13 (2) के तहत जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3 (1) के सहपठित है. उक्त नियमों के नियम 3 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (12) के तहत प्रदान अधिकारों के पालन में आईआईएफएल होम फाइनेंस लि. (आईआईएफएल एचएफएल) (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) के प्रा. अधिकारी ने उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (2) के तहत डिमांड नोटिस जारी की है व देनदारों को उन्हें जारी डिमांड नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा है. उक्त से संबंधित, देनदारों को एक बार फिर इस नोटिस प्रकाशन से 60 दिनों में भुगतान तिथि तक डिमांड नोटिस तिथि से आगे ब्याज सहित निम्न कथित राशि का भुगतान करने की नोटिस दी जाती है. देनदारों के वितरण डिमांड नोटिस तिथि पर बकाया राशि व लोन राशि के भुगतान के प्रति प्रस्तुत सिक्योरिटी के विवरण निम्न हैं-

देनदारों/गारंटरों का नाम	डिमांड नोटिस तिथि व राशि	सिक्योर्ड एसेट विवरण (अचल संपत्ति)
श्री साजन लाल श्रीमती कृष्णा बाई (प्रॉस्पेक्ट नं. 976694)	8/10/2024 और रुपए 5,45,518/- (रु. पांच लाख पैंतालीस हजार पांच सौ अट्ठारह मात्र)	संपति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल- मकान नंबर 814, पटवारी हल्का नंबर 49, सर्वे नंबर 1088, गांव कायथा, तहसील तराना, जिला उज्जैन, एमपी, भारत-456665 में स्थित है. क्षेत्रफल माप (वर्ग फीट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्र, सुपर_बिल्ट_अप_क्षेत्र, बिल्ट_अप_क्षेत्र, कारपेट_क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र- 900.00, 900.00, 1064.00, 750.00.
श्री मनीष कश्यप श्री गोराधनलाल, श्री शिवदास श्रीमती छोटीबाई प्रजापति (प्रास्पेक्ट नं. 931451)	8/10/2024 और रु. 18,99,237/- (रु. अट्ठारह लाख निन्यानवे हजार दो सौ सैंतीस मात्र)	संपति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल- मकान नंबर 193, बाणगंगा मेन रोड, इंदौर, एम.पी., भारत, 452001. क्षेत्रफल माप (वर्ग फीट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्र, निर्मित_क्षेत्र संपत्ति का क्षेत्रफल- 600.00, 1440.00.
श्री संजय श्रीमती संगीता (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल 10063515)	8/10/2024 और रु. 14,43,402/- (रु. चौदह लाख तिरतालीस हजार चार सौ दो मात्र)	संपति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल- प्लॉट नंबर 107, वार्ड नंबर 12, पी.एच. नंबर 4/1, पलक सिटी कॉलोनी ग्राम, तेलीखेड़ा नगर पंचायत महूगांव, तह. महू, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत, 452001. क्षेत्रफल माप (वर्ग फीट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्र, कारपेट_क्षेत्र, सुपर_निर्मित_क्षेत्र संपत्ति का क्षेत्रफल- 625.00, 550.00, 625.00.
श्री सुजीत रवीन्द्र फलक, श्री राहुल रवीन्द्र फलक, श्री रवीन्द्र एकनाथ फलक, श्रीमती मीनाक्षी रवीन्द्र फलक (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल 10172649)	8/10/2024 और रु. 7,46,062/- (रु. सात लाख छियालीस हजार बांसठ मात्र)	संपति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल- प्लॉट नंबर 253 सिद्धि विनायक विहार ग्राम जेतपुरा तहसील सांवेर इंदौर एमपी, 452001. क्षेत्रफल माप (वर्ग फीट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्र, बिक्री योग्य_क्षेत्र संपत्ति का क्षेत्रफल- 600.00, 600.00.
श्री रवि, श्रीमती अमृता बाई पूनम बेग वर्क्स (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल 10308935)	8/10/2024 और रु. 16,52,913/- (रु. सोलह लाख बावन हजार नौ सौ तेरह मात्र)	संपति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल- प्लॉट नंबर 1328 का उत्तरी भाग, अरिहंत नगर एक्सटेंशन (गोतमेश्वर सिटी), ग्राम बिचौली हप्सी, तह. हातोद, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश, 453112. क्षेत्रफल माप (वर्ग फीट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्र, निर्मित_क्षेत्र, कारपेट_क्षेत्र संपत्ति का क्षेत्रफल- 500.00, 550.00, 440.00.
श्री शुभम निकुम, श्रीमती मंजू बाई, श्रीमती पायल, अष्ट विनायक मोबाइल शॉप (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल 10384066)	8/10/2024 और रु. 3,11,603/- (रु. तीन लाख ग्यारह हजार छह सौ तीन मात्र)	संपति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल- पटवारी हल्का नंबर 61, ग्राम सुरगांव बंजारी, तहसील और जिले में स्थित है खंडवा, मध्य प्रदेश, 450001. क्षेत्रफल माप (वर्ग फीट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्र, निर्मित_क्षेत्र, अति_निर्मित_क्षेत्र, कालीन_क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र- 660.00, 400.00, 260.00, 530.00.
श्री सत्यनारायण, श्रीमती पवित्रा बाई वर्मा हेयर सैलून (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल 10425486)	8/10/2024 और रु. 2,94,554/- (रु. दो लाख चौरानवे हजार पांच सौ चौवन्न मात्र)	संपति का वह पूरा हिस्सा- प्लॉट नंबर 458, वार्ड नंबर 25, पी.एच.एन. 49, ग्राम-कायथा, डामर रोड, तह.-तराना, उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456001. क्षेत्रफल माप (वर्ग फीट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्र, निर्मित_क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र- 897.00, 897.00.
श्री मुकेश श्रीमती भावना मुकेश सब्जी भंडार (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल 10514137)	8/10/2024 और रु. 6,44,250/- (रु. छह लाख चवालीस हजार दो सौ पचास मात्र)	संपति का वह पूरा हिस्सा प्लॉट नंबर 128/2 (128 का हिस्सा), ग्लोबल पार्क, ग्राम बागोड़ा तहसील देपालपुर (नई तहसील राऊ), इंदौर, 453332 है. क्षेत्रफल माप (वर्ग फीट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्र, बिक्री योग्य_क्षेत्र, सुपर_बिल्ट_अप_एरिया संपत्ति का क्षेत्रफल- 393.00, 393.00, 300.00
श्री पप्पू, श्रीमती देवी मोगरे श्रीमती माली बाई चौहान दुग्ध डेयरी केन्द्र (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल 10589038)	8/10/2024 और रु. 3,87,998/- (रु. तीन लाख सतासी हजार नौ सौ अन्ठानवे मात्र)	संपति का वह पूरा हिस्सा- पी.एच.एन. 14, मकान नंबर 225, ग्राम खेरदा, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश, 451228 पर स्थित है. क्षेत्रफल माप (वर्ग फीट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्र, निर्मित_क्षेत्र, कारपेट_क्षेत्र 600.00 450.00, 360.00

यदि उक्त देनदार आईआईएफएफ एचएफएल को उक्त भुगतान नहीं करते हैं तो वह देनदारों के पूरी तरह से जोखिम, लागत व नतीजों पर उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) व लागू नियमों के तहत उक्त सिक्योर्ड एसेट के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं. विवरण हेतु संपर्क प्रा. अधिकारी, ब्रांच आफिस -पहला माला, 29 निकास चौराहा, अंकपथ मार्क, नई सड़क उज्जैन (म.प्र)-456001/102-103, दर्शन मॉल, 15/2, रेस कोर्स रोड इन्दौर-452001, मध्यप्रदेश /या कार्पोरेट ऑफिस: आईआईएफएल टॉवर, प्लाट नं. 98, उद्योग विहार, फेस-IV, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान: इन्दौर, दिनांक: 14-10-2024 | **प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लि.**

JANA SMALL FINANCE BANK
(A scheduled commercial bank)

रजिस्टर्ड ऑफिस: द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 व 12/2-बी, ऑफिस दोमलुर, कोरामंडला इनर रिंग रोड, नेक्सट टू ईजीएल बिजनेस पार्क, छलाघट्टा, बैंगलोर- 560071, ब्रांच ऑफिस- प्लाट नं. 306-ए, पीयू-4, स्कीम नं. 54, नियर कंट्री इन होटल, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इन्दौर-452010

ई-नीलामी सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के प्रवर्तन के तहत ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना, प्रावधान नियम 8 (6) और 9 के प्रावधान के साथ पढ़ें

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है. ऋणी को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिए गए खाते में गिरवी संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी (ई-नीलामी) जैसा है जहां है और जैसा है जैसा है पर आयोजित किया जाएगा निर्धारित तिथि पर यहां के तहत.

क्र.	लोन एकाउंट नं.	मूल देनदार/सह देनदार/ गारंटर का नाम	13-2 नोटिस तिथि	कब्जा तिथि	वर्तमान बकाया	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि व समय	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि ईएमडी रु. में	ई-नीलामी तिथि व समय	बिड जमा की अंतिम तिथि, समय व स्थान
1.	45539420004502	1. श्री कृष्णा केलवा आत्मज गोविन्द केलवा 2. श्रीमती रीना केलवा पत्नी कृष्णा केलवा	18-6-2024	2-9-2024	रु. 8,82,342.02 (रु. आठ लाख बयासी हजार तीन सौ बयालीस व पैसा दो मात्र) 8-10-2024 को	17-10-2024 को 9.00 बजे से 5.30 बजे तक	रु. 7,66,000/- (रु. सात लाख छियासठ हजार मात्र)	रु. 76,600/- (रु. छिहत्तर हजार छह सौ मात्र)	19-11-2024 को 11.00 बजे से 2.00 बजे तक	18-11-2024 को 05.00 बजे से पहले जना स्मॉल फायनेंस बैंक लिमि. प्लाट नं. 306-ए, पीयू-4 स्कीम नं. 54, नियर कंट्री इन होटल, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इन्दौर-452010

संपत्ति विवरण अनुसूची- आवासीय भाग संख्या 154, कुल 567 वर्गफुट (52.49 वर्गमीटर) का वह पूरा भूखंड, जो समीर समिद कॉलोनी पीएच. संख्या 15 में, नगर पंचायत लक्ष्मीबाई वार्ड संख्या 09, कस्तिया समीर की सीमा में स्थित है. तहसील सांवेर और जिला इंदौर एमपी से घिरा हुआ है- पूर्व में- प्लॉट संख्या 191, पश्चिम में- कॉलोनी रोड, उत्तर में- प्लॉट संख्या 195 और दक्षिण में- प्लॉट संख्या 193.

संपत्तियों को 'जैसा है जहां है के आधार पर' और 'जैसा है जो है के आधार पर' आयोजित किया जा रहा है और ई-नीलामी 'ऑनलाइन' आयोजित की जाएगी. उपरोक्त संपत्ति की खरीद से संबंधित सभी भुगतान किसके पक्ष में किए जाएंगे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक. नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स के माध्यम से आयोजित की जाएगी. 4 वेब पोर्टल https://bankauctions.in और www.foreclosureindia.com पर बंद होना. अधिक जानकारी के लिए. और ई-नीलामी पर विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता एम/एस से संपर्क कर सकते हैं. 4 समापन; श्री एम. दिनेश से संपर्क करें, संपर्क नंबर- 8142000735. ईमेल आईडी- dinesh@bankauctions.in, info@bankauctions.in ई-नीलामी कार्यवाही में भाग लेने के लिए नियमों और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया जन लघु वित बैंक के अधिकारी श्री अजय नाइक से संपर्क करें (मो. नं. 9960948687) एवं श्री महेंद्र ब्रम्हणे (मो. नं. 9029290202). प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई बाधा नहीं है. हालांकि इच्छुक बोली- बोली लगाने वालों को अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के स्वामित्व, स्वामित्व के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए. कोई भी सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी. यह उपरोक्त नामित उधारकर्ताओं के लिए भी एक सूचना है. गिरवी संपत्तियों के लिए निर्धारित ई-नीलामी के बारे में गारंटर/बंधककर्ता/ उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को अद्यतन ब्याज और सहायक राशि के साथ ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है. नीलामी की तारीख से पहले के खर्च, ऐसा न करने पर संपत्ति बेच दी जाएगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा.

दिनांक- 14-10-2024, स्थान- इन्दौर | **ह./- प्राधिकृत अधिकारी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

JANA SMALL FINANCE BANK
(A scheduled commercial bank)

रजिस्टर्ड ऑफिस: द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 व 12/2-बी, ऑफिस दोमलुर, कोरामंडला इनर रिंग रोड, नेक्सट टू ईजीएल बिजनेस पार्क, छलाघट्टा, बैंगलोर- 560071, ब्रांच ऑफिस- प्लाट नं. 306-ए, पीयू-4, स्कीम नं. 54, नियर कंट्री इन होटल, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इन्दौर-452010

ई-नीलामी सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के प्रवर्तन के तहत ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना, प्रावधान नियम 8 (6) और 9 के प्रावधान के साथ पढ़ें

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है. ऋणी को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिए गए खाते में गिरवी संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी (ई-नीलामी) जैसा है जहां है और जैसा है जैसा है पर आयोजित किया जाएगा निर्धारित तिथि पर यहां के तहत.

क्र.	लोन एकाउंट नं.	मूल देनदार/सह देनदार/ गारंटर का नाम	13-2 नोटिस तिथि	कब्जा तिथि	वर्तमान बकाया	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि व समय	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि ईएमडी रु. में	ई-नीलामी तिथि व समय	बिड जमा की अंतिम तिथि, समय व स्थान
1.	32769440000028	1. श्री राहुल जाटवा आत्मज पर्वतलाल जाटवा 2. श्रीमती अमृता बाई पत्नी पर्वतलाल जाटव 3. श्री पर्वतलाल जाटव आत्मज जगन्नाथ	31-3-2023	25-9-2024	रु. 5,85,721.80 (रु. पांच लाख पिच्यासी हजार सात सौ इक्कीस व पैसा अस्सी मात्र) 8-10-2024 को	18-10-2024 को 9.00 बजे से 5.30 बजे तक	रु. 7,16,000/- (रु. सात लाख सोलह हजार मात्र)	रु. 71,600/- (रु. इकहत्तर हजार छह सौ मात्र)	20-11-2024 को 11.00 बजे से 2.00 बजे तक	19-11-2024 को 05.00 बजे से पहले जना स्मॉल फायनेंस बैंक लिमि. प्लाट नं. 306-ए, पीयू-4 स्कीम नं. 54, नियर कंट्री इन होटल, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इन्दौर-452010
	संपत्ति विवरण अनुसूची- मकान नंबर 57 वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 1296 वर्ग फीट (120.40 वर्गमीटर) है, साथ ही उस पर निर्माण, पीएच. नंबर 68 सर्वे नंबर 29, ग्राम पंचायत कालेसर की सीमा के भीतर ग्राम चोसला में स्थित है. तहसील घटिया और जिला उज्जैन (एमपी) से घिरा हुआ- पूर्व में- आम सड़क, पश्चिम में- आम सड़क, उत्तर में- आम सड़क और दक्षिण में- श्री ईश्वर का घर.									
2.	45579440000224	1. श्री राहुल आत्मज तुलसीराम 2. श्री तुलसीराम आत्मज साव जी	3-7-2023	24-9-2024	रु. 3,18,236.00 (रु. तीन लाख अट्ठारह हजार दो सौ छत्तीस मात्र) 8-10-2024 को	18-10-2024 को 9.00 बजे से 5.30 बजे तक	रु. 12,66,000/- (रु. बारह लाख छियासठ हजार मात्र)	रु. 1,26,600/- (रु. एक लाख छब्बीस हजार छह सौ मात्र)	20-11-2024 को 11.00 बजे से 2.00 बजे तक	19-11-2024 को 05.00 बजे से पहले जना स्मॉल फायनेंस बैंक लिमि. प्लाट नं. 306-ए, पीयू-4 स्कीम नं. 54, नियर कंट्री इन होटल, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इन्दौर-452010
	संपत्ति विवरण अनुसूची- प्लॉट हाउस नं. 81 वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट है तथा उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है. सर्वे नं. 62, पीएच. नं. 06 का हिस्सा, ग्राम लसुद्रिया बाजार में स्थित, ग्राम पंचायत लसुद्रिया बाजार, तहसील घटिया और जिला उज्जैन (म.प्र.) की गलियों में स्थित है. पूर्व दिशा में- अनिल का घर, पश्चिम दिशा में- आम सड़क, उत्तर दिशा में- हाकम सिंह की कृषि भूमि और दक्षिण दिशा में- आम सड़क.									

संपत्तियों को 'जैसा है जहां है के आधार पर' और 'जैसा है जो है के आधार पर' आयोजित किया जा रहा है और ई-नीलामी 'ऑनलाइन' आयोजित की जाएगी. उपरोक्त संपत्ति की खरीद से संबंधित सभी भुगतान किसके पक्ष में किए जाएंगे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक. नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स के माध्यम से आयोजित की जाएगी. 4 वेब पोर्टल https://bankauctions.in और www.foreclosureindia.com पर बंद होना. अधिक जानकारी के लिए. और ई-नीलामी पर विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता एम/एस से संपर्क कर सकते हैं. 4 समापन; श्री एम. दिनेश से संपर्क करें, संपर्क नंबर- 8142000735. ईमेल आईडी- dinesh@bankauctions.in, info@bankauctions.in ई-नीलामी कार्यवाही में भाग लेने के लिए नियमों और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया जन लघु वित बैंक के अधिकारी श्री अजय नाइक से संपर्क करें (मो. नं. 9960948687) एवं श्री महेंद्र ब्रम्हणे (मो. नं. 9029290202). प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई बाधा नहीं है. हालांकि इच्छुक बोली- बोली लगाने वालों को अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के स्वामित्व, स्वामित्व के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए. कोई भी सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी. यह उपरोक्त नामित उधारकर्ताओं के लिए भी एक सूचना है. गिरवी संपत्तियों के लिए निर्धारित ई-नीलामी के बारे में गारंटर/बंधककर्ता/ उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को अद्यतन ब्याज और सहायक राशि के साथ ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है. नीलामी की तारीख से पहले के खर्च, ऐसा न करने पर संपत्ति बेच दी जाएगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा.

दिनांक- 14-10-2024, स्थान- इन्दौर | **ह./- प्राधिकृत अधिकारी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**